

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर

सुपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र 41/2025

अकबर डोल पुत्र जाकिर डोल, जाति मुसलमान, निवासी मं0नं0 244, वार्ड नं0 3, हैडवाल देरा मुल्तानपुरा मन्दसौर, मध्यप्रदेश

.....प्रार्थी

बनाम

सरकार जरिये थानाधिकारी पुलिस थाना नसीराबाद सदर जिला अजमेर

उपस्थित :-

.....अप्रार्थी

श्री भरत अभिभाषक प्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत सुपुर्दगीनामा धारा 457, 503 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वास्ते वाहन रिलीज करने बाबत आदेश

दिनांक-14.01.2026

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी/सुपुर्दगीदार अपने वाहन संख्या RJ-09-GE-0794 का रजिस्टर्ड मालिक है, प्रार्थी/सुपुर्दगीदार के उपरोक्त वाहन को पुलिस थाना नसीराबाद सदर अजमेर द्वारा धारा 3, 5, 6, 8, 9, 10 राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) नियम 1995 के तहत जब्त किया गया है। प्रार्थी/सुपुर्दगीदार अपने वाहन के अभाव में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तथा पुलिस को उक्त वाहन की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रार्थी/सुपुर्दगीदार अपने वाहन संख्या RJ-09-GE-0794 को न्यायालय से सुपुर्दगीनामें पर छोड़वाना चाहता है। अतः प्रार्थी/सुपुर्दगीदार के उक्त वाहन संख्या RJ-09-GE-0794 को सुपुर्दगीनामें पर छोड़वाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर थानाधिकारी पुलिस थाना नसीराबाद सदर जिला अजमेर से प्रकरण बाबत टिप्पणी तलब की गई। टिप्पणी प्राप्त होने पश्चात् सुनवाई चाहने पर उपस्थित को सुना गया।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी/सुपुर्दगीदार अपने वाहन संख्या RJ-09-GE-0794 का रजिस्टर्ड मालिक है, प्रार्थी/सुपुर्दगीदार के उपरोक्त वाहन को पुलिस थाना नसीराबाद सदर द्वारा धारा 3, 5, 6, 8, 9, 10 राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) नियम 1995 के तहत जब्त किया गया है। प्रार्थी/सुपुर्दगीदार अपने वाहन के अभाव में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तथा पुलिस को उक्त वाहन की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रार्थी/सुपुर्दगीदार अपने वाहन संख्या RJ-09-GE-0794 को न्यायालय से सुपुर्दगीनामें पर छोड़वाना चाहता है। अतः


जिला कलक्टर
अजमेर

प्राणी/सुपुर्दगीदार के उक्त वाहन संख्या RJ-09-GE-0794 को सुपुर्दगीनाम पर छोड़ने का आदेश पदान करने की कृपा करें।

थानाधिकारी पुलिस थाना नसीराबाद सदर जिला अजमेर से टिप्पणी प्राप्त की गई। थानाधिकारी ने अपनी टिप्पणी दिनांक 07.01.2026 में अवगत कराया कि प्रकरण संख्या 442/25 दिनांक 25.10.2025 धारा 3, 5, 6, 8, 9, 10 गो0 अधि0 में घटना में प्रयुक्त वाहन आरसर ट्रक RJ-09-GE-0794 को जब्त किया था उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में अनुरांधान पूर्ण कर वाला भी आदेश संख्या 481/25 दिनांक 18.12.2025 से अन्तर्गत धारा 3, 5, 8, 9, 10 गो0 अधि0 में मुल्जिम मेहबूब मंसूरी पुत्र श्री अयुब मंसूरी जाति मंसूरी उम्र 35 साल निवासी मकान संख्या 42 वार्ड सं 34 मस्जिद के पास मदारपुरा थाना सिटी कोतवाली के विरुद्ध प्राप्त किये जाकर नतीजा किता किया जा चुका है उक्त प्रकरण में जब्तशुदा वाहन आरसर ट्रक RJ-09-GE-0794 के संबंध में अनुरांधान पूर्ण किया जा चुका है उक्त वाहन को नियमानुसार रितीज किया जावे तो कोई आपत्ति नहीं होना बताया गया है।

हमने थानाधिकारी पुलिस थाना नसीराबाद सदर जिला अजमेर से प्राप्त टिप्पणी का प्रार्थी के सुपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र एवं सुनवाई दौरान व्यक्त कथनों पर मनन किया, रेकॉर्ड पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि मुल्जिमात के विरुद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 3,5,8,9,10 राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवजन या निर्यात का विनियमन) नियम 1995 में जप्तशुदा वाहन संख्या RJ-09-GE-0794 का पंजीकृत स्वामी प्रार्थी है। प्रकरण में जब्तशुदा वाहन संख्या RJ-09-GE-0794 से सम्बन्धित तपदीश पूर्ण हो चुकी होना थानाधिकारी नसीराबाद सदर जिला अजमेर ने अपनी टिप्पणी में अंकित किया गया है।


उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं विवेचनानुसार जिस स्थिति में उक्त गोवंश को पुलिस द्वारा जब्त किया गया है। उक्त गोवंश एक राज्य से दूसरे राज्य में ले लाने बाबत प्रार्थी के पास सक्षम स्तर से कोई स्वीकृति आदेश नहीं था, जब्तशुदा गोवंश को, देखरेख/चारे पानी की सुचारु व्यवस्था हेतु गौशाला में सुपुर्दगी पर छोड़ा गया है। पुलिस अनुसंधान में मुल्जिमात के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 3,5,6,8,9,10 राजस्थान गौवंश पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवजन या निर्यात का विनियमन) नियम 1995 में दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया। राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवजन या निर्यात का विनियमन) नियम 1995 का अपराध प्रमाणित पाया गया है। राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवजन या निर्यात का विनियमन) नियम 1995 के अधिनियम संख्या 23 में धारा 6-क का अन्तःस्थापन किया गया है जिसमें इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध किया जावें तथा ऐसे अपराध करने के लिए उपयोग में लाये गये प्रवहण का कोई भी साधन अधिहरण के दायित्वाधीन होगा, प्रतिस्थापित किया गया है। उक्त अधिनियम के तहत अधिकारिता रखने वाला सक्षम प्राधिकारी को कब्जे राज लिये गये गोवंश तथा ऐसे अपराध के लिए उपयोग में लिये जाने वाले वाहन के निस्तारण का अधिकार दिया गया है। किन्तु प्रार्थी द्वारा जब्तशुदा वाहन को सुपुर्दगीनामा पर छोड़ने हेतु निवेदन किया गया है। अतः जब्तशुदा वाहन के अधिहरण के आदेश करने के पूर्व अधिनियम में दिये गये प्रावधानों के मद्देनजर जब्तशुदा वाहन के अधिहरण के बदले में प्रवहण के ऐसे साधन के बाजार मूल्य से अनधिक के जुर्माने का संदाय करने पर वाहन प्रार्थी को सौंपा जा सकता है। चूंकि उक्त वाहन संख्या RJ-09-GE-0794 का उपयोग, उपरोक्तानुसार गैर-कानूनी अवैध कृत्य हेतु किया जा रहा था। लिहाजा

192
जिला अजमेर

प्रकरण में जब्तशुदा वाहन संख्या RJ-09-GE-0794 पर रूपये 1,00,000/-अक्षरे एक लाख रूपये मात्र की शास्ति राशि आरोपित की जाती है। आरोपित शास्ति राशि प्रार्थी द्वारा जमा करवाने की शर्त पर एवं प्रार्थी से वाहन स्वामित्व संबंध दस्तावेज प्राप्त कर थानाधिकारी पुलिस थाना नसीराबाद सदर जिला-अजमेर, राशि नियमानुसार राजकोष (सम्बन्धित मद) में जमा करवाकर उक्त वाहन संख्या RJ-09-GE-0794 की अन्य किसी प्रकरण में आवश्यकता न होने पर नियमानुसार बाद जांच सम्बन्धित वाहन मालिक को सुपुर्द करें। जमा चालान/रसीद, के पालना रिपोर्ट पेश हों।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 14.01.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।




(लोक बन्धु)
जिला कलक्टर, अजमेर